



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 24.04.2025

1.थाना जारचा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- थाना जारचा पुलिस द्वारा दिनांक **24.04.25** को मु0अ0सं0 35/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0-1961 थाना जारचा गौतमबुद्धनगर में वांछित चल रही 01 अभियुक्ता पिकी पत्नी सतेन्द्र निवासी ग्राम कलौन्दा थाना जारचा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 38 वर्ष को निवास स्थान ग्राम कलौन्दा से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा वादी की बेटी को दहेज के लिए प्रताडित करना, अतिरिक्त दहेज की मांग करना, दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की मृत्यु कर देने के सम्बन्ध में थाना जारचा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें मृतका के ससुर सतेन्द्र व पति निशान्त को गिरफ्तार कर पूर्व में ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण--

1. पिकी पत्नी सतेन्द्र निवासी ग्राम कलौन्दा थाना जारचा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 38 वर्ष

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 35/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0-1961 थाना जारचा गौतमबुद्धनगर

2.थाना सैक्टर 142 पुलिस व गैंगस्टर एक्ट में 15 हजार रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड के उपरान्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24/25.04.25** की रात्रि में थाना सैक्टर 142 पुलिस द्वारा एफएनजी सर्विस रोड पर चैकिंग की जा रही थी तभी सामने से एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसको रुकने का इशारा किया गया तो वह नहीं रुका बल्कि भागने का प्रयास करने लगा शक होने पर पुलिस पार्टी द्वारा उक्त व्यक्ति का पीछा किया गया तो उक्त बदमाश द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा की गयी जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया

जिसकी पहचान अनिल कुमार पुत्र लालकरण निवासी ग्राम डहरपुर कलां थाना मुसाझाग तहसील दातागंज जिला बँदायू हाल पता किराये का मकान गली न0. 4 ग्राम इलाहाबांस थाना फेज 2 नोएडा, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष के रूप में हुयी है। अभियुक्त के कब्जे से 1 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 खोखा कारतूस, 1 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। जिसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।

जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभि0 अनिल कुमार उपरोक्त मु0अ0सं0 26/25 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 मे वांछित अपराधी है जिस पर श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा अनिल उपरोक्त के विरुद्ध 15,000 रु0 का इनाम घोषित किया गया है।

*अभियुक्त अनिल कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं का अन्जाम देता है। इस सन्दर्भ में अभि0 के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं।

गहनता से पूछताछ के उपरान्त ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 06.10.24 को सेक्टर 144 एफएनजी रोड से अपने अन्य साथी रोहित कुमार के साथ मिलकर ई-रिक्सा की चोरी की गयी जिसके सम्बन्ध में अभियोग 127/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात दिनांक 07.10.2024 को पंजीकृत हुआ तथा दिनांक 30.10.24 को भी उक्त अभियुक्त के द्वारा सेक्टर 140 में मारुति कम्पनी के सामने से भी ई-रिक्सा की चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 152/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उक्त दोनों अभियोगों में अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके हैं तथा पूर्व में भी आरोपी अनिल अपने साथी रोहित कुमार पुत्र बीरबल सिंह के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था जिसमें अभि0 जमानत पर रिहा होकर पुनः अपराध करने की फिराक में एफएनजी रोड क्रासा तिराहे के पास अपने अन्य साथी के इन्तजार में घूम रहा था।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अनिल कुमार पुत्र लालकरण निवासी ग्राम डहरपुर कलां थाना मुसाझाग तहसील दातागंज जिला बँदायू हाल पता किराए का मकान गली न0. 4 ग्राम इलाहाबांस थाना फेज 2 नोएडा, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष

अनिल कुमार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 127/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर 142 जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 152/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर 142 जनपद गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 155/24 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 142 जनपद गौतमबुद्धनगर
4. ई-एफआईआर सं0 032663/24 धारा 305(इ), 317(2) बीएनएस थाना कालका जी नई दिल्ली
5. मु0अ0सं0 26/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सेक्टर 142 जनपद गौतमबुद्धनगर